न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

78

निगरानी प्रकरण कमांक 150/तीन/1991 – विरूद्ध आदेश दिनांक 18–3–1991 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण कमांक 133/1987–88 निगरानी

1–गफूर खॉ पुत्र सरदार खॉ मुसलमान
निवासी जादो सागर रोड पुरानी शिवपुरी
2–यासीन खॉ पुत्र सरदार खॉ
3– बसीरखां पुत्र सरदार खां
4– चांदखॉ पुत्र सरदार खां
5– रहीमनवाई पत्नि स्व.हसन खां
6– सरबरी वाई पुत्री हसन खॉ
निवासीगण ईसागढ़ तत्समय गुना
वर्तमान जिला अशोकनगर, म0प्र0 –– आवेदकगण

विरूद्ध

1– जहॉगीर सिंह पुत्र मान सिंह पंजाबी
2– दलबीर सिंह पुत्र मान सिंह पंजाबी
3– हरकौर पत्नि मान सिंह
4– मथरो कौर पत्नि स्व.बरयाम सिंह
5– गुरूचरणसिंह पुत्र बरयाम सिंह
6– स्वर्णसिंह पुत्र बरयाम सिंह
7– रघुवीरसिंह पुत्र बरयाम सिंह
8– रघुवीर सिंह पुत्र बरयाम सिंह
9– चरणजीत पुत्र बरयाम सिंह
सभी निवासी ईसागढ़ कलशा वाले
मंदिर के पास तत्समय गुना
वर्तमान जिला अशोकनगर
10–स्वणजीत कौर पुत्री बरयामसिंह
पत्नि रघुपालसिंह निवासी सतनवाड़ा
तहसील व जिला शिवपुरी
11–परमजीत कौर पुत्री बरयाम सिंह
पत्नि कश्मीरसिंह पंजाबी ग्राम सतनवाड़ा
तहसील व जिला शिवपुरी
12– मध्य प्रदेश शासन व्दारा तत्त.कलेक्टर गुना
वर्तमान कलेक्टर अशोकनगर ———अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री ए.के.अग्रवाल)

आ दे श

(आज दिनांक 16–2–2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 133/1987–88 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18–3–91 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50

के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदकगण व्दारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कलेक्टर गुना से उभय पक्ष के बीच प्रचलित भूमि विवाद पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की मांग की। कलेक्टर गुना ने प्रकरण कमांक 21/86-87 में पारित आदेश दिनांक 25-3-1988 से आवेदकगण व्दारा प्रस्तुत आवेदन व्यवहार न्यायाय से अस्थाई निषेधाज्ञा होने के कारण फसल सौंपने वावत् गुणदोष पर निर्णय न लेना निर्धारित किया। इस आदेश के विरूद्व आवेदकगण ने अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी कमांक 133/87-88 प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने आदेश दिनांक 18-3-91 से निगरानी 20 दिवस विलम्ब से प्रस्तुत होने एंव अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन न देने के कारण निरस्त कर दी। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के आदेश दिनांक 18-3-91 के अवलोकन से स्थिति यह है कि उन्होंने निगरानी इस आधार पर निरस्त की है कि आवेदकगण ने कलेक्टर के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने हेतु 3-6-88 को आवेदन दिया एंव 10-6-88 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की । इस प्रकार प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्ति में व्यतीत 8 दिवस का समय कम करने पर निगरानी 20 दिवस के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है एंव विलम्ब क्षमा करने हेतु अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन नहीं दिया है। अपर आयुक्त के प्रकरण कमांक 133/1987-88 में निगरानी मेमो के अवलोकन पर पाया गया कि कलेक्टर गुना के आदेश दिनांक 25-3-88 के विरूद्व निगरानी 22-6-88 को प्रस्तुत की गई है एंव निगरानी मेमो में पद एक में निगरानीकर्तागणने अंकित किया है कि :-

" निगरानीधीन आदेश दिनांक 25-3-88 को पारित किया गया है। प्रतिलिपि प्राप्ति में लगा समय मुक्त करने पर यह निगरानी नियत अवधि में प्रस्तुत है माननीय अधीनस्थ न्यायालय व्दारा जो आदेश पारित किया गया था उसके पूर्व न तो आवेदक को सुना और न आवेदक को निर्णय की जानकारी दी तथा

सर्वप्रथम निगरानीधीन आदेश की जानकारी दिनांक 20-5-88 को दी गई। ''

आवेदकगण ने निगरानी मेमो में विलम्ब का कारण दर्शाया है।

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 50 एंव 47 - निगरानी विलम्ब से प्रस्तुत - न्यायालय के समक्ष विलम्ब का कारण आधारों सहित बताया गया - अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन प्रथक से न दिये जाने के आधार पर निगरानी निरस्त नहीं की जा सकती।
2. निगरानी प्रस्तुत करने में 20 दिन का विलम्ब-निगरानी मेमो में विलम्ब का कारण अंकित किया गया - 20 दिवस का विलम्ब अत्याधिक विलम्ब नहीं है - विलम्ब के आधार पर निगरानी निरस्त करना - न्याय किया जाना नहीं माना जायेगा।
3. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 47 - समुचित आधारों पर आधारित होने से विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य पाया गया - मामला गुणा-गुण पर विनिश्चत किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावेगा।

उक्त स्थिति में अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 133/1987-88 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18-3-91 युक्तिसंगत नहीं है जिसके कारण स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 133/1987-88 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18-3-91 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव प्रकरण इस निर्देश के साथ वापिस किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित किया जाय।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर